भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 597

जिसका उत्तर गुरुवार, 6 फरवरी, 2020 को दिया जाना है

नोटरी पब्लिक की नियुक्ति

597. श्री के. सोमप्रसाद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी पब्लिक की राज्य-वार और वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या देश की जनसंख्या के अनुपात में नोटरी पर्याप्त संख्या में हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों में से नियुक्त किए गए नोटरी पब्लिक की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : पिछले पांच वर्षों के दौरान संघ सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोटेरियों की कुल संख्या के राज्य-वार और वर्ष–वार ब्यौरे **उपाबंध-X** पर है ।

(ख) : नोटेरी नियम, 1956 का नियम 7(3)(ख) यह अपेक्षा करता है कि साक्षात्कार बोर्ड (i) विशिष्ट राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के विशिष्ट क्षेत्र के जिसमें आवेदक व्यवसाय करने का प्रस्ताव करता है, वाणिज्यिक महत्व और (ii) उस क्षेत्र में साक्षात्कार के समय विद्यमान नोटेरियों की संख्या/सदस्य संख्या पर विचार करे । नोटेरी अधिनियम, 1952 या नोटेरी नियम, 1956 में देश में जनसंख्या के अनुपात में नोटेरियों की संख्या के संबंध में ऐसा कोई मानदंड विहित नहीं है ।

(ग) : विभाग, संघ सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोटेरियों की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, समुदाय-वार सूची नहीं रखता है ।

उपाबंध-X

पिछले पांच वर्षों के दौरान संघ सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोटेरियों की संख्या

राज्य	वर्ष 2015	वर्ष 2016	वर्ष 2017	वर्ष 2018	वर्ष 2019
आंध्र प्रदेश			-	172	
असम	-	-	-	13	-
बिहार	-	-	-	117	51
चंडीगढ़	-	24	-	29	-
छत्तीसगढ़				182	
दिल्ली	-	-	-	324	-
गोवा	-	-	-	16	-
गुजरात	-	658	-	1896	-
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	95	-
हरियाणा	-	203	-	374	-
झारखंड	-	-	-	43	23
केरल	-	-	-	441	-
कर्नाटक	-	329	-	570	-
लक्षद्वीप	-	-	-	3	-
मेघालय	-	-	-	1	-
महाराष्ट्र	-	-	-	1949	-
मध्य प्रदेश	-	-	-	193	-
आडिशा	-	-	-	56	10
पंजाब	-	170	-	351	-
पुडुचेरी	-	-	-	28	-
राजस्थान	-	600	-	442	344
तमिलनाडु				748	
त्रिपुरा				7	
तेलंगाना	-	-	-	79	-
उत्तर प्रदेश	-	-	206	298	-
उत्तराखंड	-	-	18	14	-
पश्चिमी बंगाल	-	-	-	80	11

****